2026 का विधेयक संख्यांक 41

[दि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (जेनरल एडमिनिस्ट्रेशन) बिल, 2026 का हिन्दी पाठ]

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में समूह क सामान्य ड्यूटी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की भर्ती तथा सेवाओं की शर्तों को शासित करने वाले साधारण नियमों और इन बलों से संबंधित अन्य नियमों को विनियमित करने तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं और उन्हें सीमाओं की सुरक्षा और संघ तथा राज्यों की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने तथा संबद्ध मामलों के लिए तैनात किया जाता है;

और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल मुख्य रूप से सशस्त्र सैन्य दल हैं जो सख्त कमान तथा नियंत्रण तंत्र और एक कार्यात्मक पदानुक्रम के साथ फील्ड में सशस्त्र कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं;

और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की परिचालन और कार्यात्मक आवश्यकताएं अन्य संगठनों से भिन्न हैं;

और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में समूह 'क' सामान्य ड्यूटी के अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों और सदस्यों की भर्ती तथा सेवाओं की शर्तें पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संबंधित अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती हैं;

और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल राज्य प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में राष्ट्रीय सुरक्षा के कार्यों का निर्वहन करते हैं;

और केंद्र-राज्य संबंधों को बनाए रखने तथा संघ और राज्यों के बीच घनिष्ठ समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, इन बलों के प्रभावी कामकाज के लिए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी आवश्यक हैं;

और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में नियुक्त समूह 'क' सामान्य ड्यूटी के अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की भर्ती तथा सेवाओं की शर्तों तथा इन बलों से संबंधित अन्य नियमों को विनियमित करने के लिए एक छत्र विधि बनाना आवश्यक समझा जाता है, ताकि विधायी स्पष्टता सुनिश्चित की जा सके, बलों की परिचालन विशिष्टता को बनाए रखा जा सके और न्यायिक निदेशों को प्रशासनिक और संघीय अपेक्षाओं के साथ सामंजस्य बनाया जा सके।

भारत के गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 है।

(2) यह उस तारीख को होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल" से पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम के अधीन गठित कोई सशस्त्र बल अभिप्रेत है;

(ख) "केंद्रीय सरकार" से भारत सरकार का गृह मंत्रालय अभिप्रेत है;

(ग) "समूह 'क' सामान्य ड्यूटी अधिकारी" से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सहायक कमांडेंट और उससे ऊपर के रैंक के समूह 'क' (सामान्य ड्यूटी या कार्यकारी) अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है तथा "अधिसूचित करना" या "अधिसूचित किया गया" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ङ) "अधिकारी" से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में समूह 'क' सामान्य ड्यूटी अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(i) प्रतिनियुक्ति पर भारतीय पुलिस सेवा का कोई अधिकारी; या

(ii) प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन पर भारतीय सेना का कोई अधिकारी; या

(iii) द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियमों के अधीन भर्ती किए

गए ऐसे अन्य अधिकारी,

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में;

(च) "आदेश" से भारत सरकार के किसी भी विभाग द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन या किसी अन्य नाम से ज्ञात अनुदेश अभिप्रेत है ।

भर्ती और सेवा शर्तों का विनियमन ।

3. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, या—

(क) किसी न्यायालय का कोई निर्णय, आदेश या नियम; या

(ख) समय-समय पर जारी किए गए किसी आदेश,

निहित किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में भर्ती की पद्धति, ढंग और रीति, जिसके अंतर्गत प्रोन्नति और प्रतिनियुक्ति भी हैं, तथा अधिकारियों की सेवा शर्तों के लिए नियम बना सकती है।

परंतु दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट समूह 'क' सामान्य ड्यूटी के अधिकारियों की भर्ती को विनियमित करने वाले नियम तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कार्यात्मक और परिचालन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, इनमें उपांतरण, संशोधन, विखंडन या अधिक्रमण नहीं किया जाता है:

परंतु यह और कि भारतीय पुलिस सेवा से महानिरीक्षक और उससे ऊपर के रैंकों पर अधिकारियों की नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए, ऐसे नियमों में निम्नलिखित उपबंध होंगे:—

(क) महानिरीक्षक रैंक के पदों में से 50 प्रतिशत पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे; और

(ख) अपर महानिदेशक के पद पर न्यूनतम 67 प्रतिशत पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे:

परंतु यह भी कि विशेष महानिदेशक और महानिदेशक के पदों को केवल प्रतिनियुक्ति के माध्यम से ही भरा जाएगा।

(2) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु ऐसे अन्य नियम बना सकेगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम और किसी अन्य नियम या आदेश में, चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या पश्चात् बनाए गए हों, कोई असंगति होने की स्थिति में, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिभावी होंगे।

अनुसूचियों के संशोधन की शक्ति।

4. (1) यदि केंद्रीय सरकार की राय में लोकहित में समीचीन या आवश्यक हो तो वह अधिसूचना द्वारा,—

(क) संघ के किसी नए सशस्त्र बल के शाशित करने वाले किसी अन्य अधिनियम या संघ के किसी विद्यमान सशस्त्र बल को पहली अनुसूची में जोड़ सकेगी, या उक्त अनुसूची में परिवर्तन या संशोधन कर सकेगी; या

(ख) दूसरी अनुसूची में कोई नया नियम जोड़ सकती है या उक्त अनुसूची में परिवर्तन या संशोधन कर सकेगी,

और इसके पश्चात्, पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी होने के

पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

व्यावृत्तियां ।

5. इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पहले जारी किसी भी आदेश के अधीन समूह 'क' सामान्य ड्यूटी अधिकारियों को दिए गए कोई भी वित्तीय अभिलाभ तब तक जारी रहेंगे जब तक इस संबंध में नए आदेश जारी नहीं किए जाए।

नियम बनाने की शक्ति ।

6. (1) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि, यथास्थिति, वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निप्रभाव हो जाएगा, किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निप्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

इस अधिनियम के उपबंधों का अध्यारोही प्रभाव होना ।

7. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या ऐसी किसी अन्य विधि के माध्यम से प्रभावी किसी अन्य लिखत में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

कठिनाइयों का दूर किया जाना ।

8. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

पहली अनुसूची

[धारा 2(क) तथा धारा 4(1)(क) देखिए]

क्रम संख्या	केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम
1.	केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल अधिनियम, 1949
2.	सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968
3.	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968
4.	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस अधिनियम, 1992
5.	सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007

दूसरी अनुसूची

[धारा 2 (ङ) (iii), धारा 3(1) और धारा 4(1) (ख) देखिए]

क्रम सं.	नियमों का नाम
1.	(i) केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल समूह "क" (सामान्य ड्यूटी) अधिकारी भर्ती नियम, 2010
2.	(i) सीमा सुरक्षा बल समूह, 'क' (साधारण ड्यूटी अधिकारी) भर्ती नियम, 2017
	(ii) सीमा सुरक्षा बल समूह 'क' (साधारण ड्यूटी अधिकारी) भर्ती नियम, 2015
3.	(i) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट (कार्यपालक) भर्ती नियम, 2009
	(ii) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (समूह 'क' कार्यपालक काडर) भर्ती नियम, 2002
	(iii) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल समूह 'क' पद (कार्यपालक काडर) भर्ती नियम, 2010
	(iv) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, अपर महानिदेशक भर्ती नियम, 2020
	(v) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, महानिदेशक भर्ती नियम, 2003
4.	(i) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, साधारण ड्यूटी काडर (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2018
	(ii) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, अपर महानिदेशक (साधारण ड्यूटी) भर्ती नियम, 2020
5.	(i) सशस्त्र सीमा बल समूह योधक (साधारण ड्यूटी) महानिदेशक, अपर महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और कमांडेंट पद भर्ती नियम, 2013
	(ii) सशस्त्र सीमा बल समूह 'क' योधक (साधारण ड्यूटी) - द्वितीय कमान अधिकारी, डिप्टी कमांडेंट और सहायक कमांडेंट पद भर्ती नियम, 2012

उद्देश्यों और कारणों का कथन

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश की सीमाओं की सुरक्षा, उग्रवाद-रोधी अभियानों का संचालन, तथा संघ और राज्यों की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये बल युद्ध की स्थिति में संघ की सशस्त्र सेनाओं के सहयोग के लिए भी अभिकल्पित किए गए हैं।

2. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में मुख्यतः जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले सैनिक समाविष्ट होते हैं, जो क्षेत्र में सशस्त्र कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इन कर्तव्यों की प्रकृति को देखते हुए इनमें कठोर कमान और नियंत्रण व्यवस्था तथा कार्यात्मक पदानुक्रम आवश्यक होता है। इसलिए इन बलों की संरचना सेक्शन/प्लाटून/कंपनी/बटालियन तथा उससे उच्च क्षेत्रीय संरचनाओं के रूप में की जाती है। इनके संचालनात्मक कमान ढांचे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का संगठनात्मक ढांचा अन्य संगठनों से भिन्न होता है।

3. संविधान के अनुच्छेद 312 के अधीन भारतीय पुलिस सेवा एक अखिल भारतीय सेवा है, और इसके अधिकारी संघ और राज्यों में नियुक्त किए जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, जो इन बलों के अधिकारियों और सदस्यों के साथ प्रतिनियुक्ति पर सेवा देते रहे हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल राष्ट्रीय सुरक्षा और उग्रवाद-रोधी कार्यों का संचालन राज्य प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में करते हैं। अतः संघ-राज्य संबंधों को सुदृढ़ बनाए रखने तथा प्रभावी संचालनात्मक कार्यप्रणाली के लिए संघ और राज्यों के बीच निकट समन्वय सुनिश्चित करने के हित में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की वर्तमान प्रतिनियुक्ति व्यवस्था को बनाए रखना आवश्यक है।

4. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल संसद के संबंधित अधिनियमों द्वारा शासित होते हैं। इन बलों में समूह 'क' सामान्य ड्यूटी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों तथा सदस्यों की भर्ती और सेवा की शर्तें इन अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित होती हैं।

5. समय के साथ-साथ कार्यात्मक और संचालनात्मक अपेक्षाओं के विस्तार के कारण इन बलों की विशिष्ट संगठनात्मक संरचना विकसित हुई है। हाल के वर्षों में, एक छत्र विधि के अभाव में नियामक उपबंध खंडित रूप में विकसित हुए हैं, जिसके कारण सेवा संबंधी मामलों पर अनेक मुकदमे हुए हैं, जिससे कुछ प्रशासनिक और कार्यात्मक कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की प्रकृति और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए यह आवश्यक है कि एक छत्र विधि बनाई जाए, जो इन बलों में समूह 'क' सामान्य ड्यूटी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की भर्ती, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति तथा सेवा की अन्य शर्तों को और इन बलों से संबंधित अन्य नियमों को विनियमित करे । इससे विधायी स्पष्टता सुनिश्चित होगी, इनके विशिष्ट संचालनात्मक और कार्यात्मक अपेक्षाओं का संरक्षण होगा तथा प्रशासनिक और संघीय अपेक्षाओं को न्यायिक निदेशों के अनुकूल किया जा सकेगा।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

नई दिल्ली;
16 मार्च, 2025

अमित शाह

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के उपबंधों में भारत की संचित निधि से किसी प्रकार का आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक की खंड 6 केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। जिन विषयों के संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे, वे अन्य बातों के साथ-साथ खंड 3 का उपखंड (1) के अधीन केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अधिकारियों की प्रोन्नति और प्रतिनियुक्ति सहित भर्ती की पद्धति, रीति और ढंग, तथा उनकी सेवा की शर्तों से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त खंड 3 के उपखंड (2) के अधीन केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से संबंधित अन्य विषयों के संबंध में भी नियम बनाए जा सकेंगे।

2. जिन विषयों के संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, वे प्रक्रियात्मक तथा प्रशासनिक विवरण से संबंधित हैं और उन्हें स्वयं विधेयक में सम्मिलित करना व्यावहारिक नहीं है। अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

RS-P&PS-GB(H)–006–20.03.2026.